

फर्द अहकाम
(नियम-26)
अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)
प्रार्थीगण
बाबू जहीरुदीन
बनाम
अप्रार्थीगण
ओमप्रकाश दगैरह
मुकदमा नं.- 07/15

किस्म प्रकरण : रा.प्रा.पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
05.01.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिनायक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आरटी.एक्ट सपत्तित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p><u>25/2/15</u> निकास/पत्रकार/पत्रकार के आधेवक्त निकास/पत्रकार/पत्रकार के आधेवक्त <u>24/4/15</u> निकास/पत्रकार/पत्रकार के आधेवक्त <u>2/6/15</u> निकास/पत्रकार/पत्रकार के आधेवक्त <u>13/9/15</u></p> <p>वकील शर्मा रणु कुमारी एवं प्रह्लादराव की ओर से वकालतनामा पेश किया। शर्मा की सम्मन पत्रकावली दिनांक 18/11/15 को पेश हो।</p>	

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

..... बनाम.....
 की किस्म.....
 की संख्या..... वर्ष.....

क्र	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
25.1.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.1.17 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>16.10.17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16.2.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>16-2-18</p> <p>एकल प्राप्ति डफ्त वकील वागो को हिदायत दी गई की आवाजी तरीक प्रेषी तक आवश्यक रूप से नोटिस तलबना परा गये। तलकी हेतु अनितक अपसर डिमा जाता है पत्रावली दिनांक 26-2-18 को पेश हो।</p> <p>26.2.18 पत्रावली पेश हुई। प्राप्तिगण व वकील प्राप्ति के मप्राप्तिगण की तफिल हेतु नोटिस तलबना पेश करने के लिये बार 2 बार आवाजे लजायी गई।</p>	

उपरोक्त अधिकारी
 जिला नगौर

बावजूद भी उपरिष्ठित होकर नोटिस
तलखाना पेश नहीं किया। अत्रापि
की तामिल हेतु नोटिस तलखाना
पेश करने के लिये तीन वर्ष का
खमद दिया जा चुका है उस के
बावजूद भी तलखी हेतु नोटिस
तलखाना पेश नहीं किया इसलिए
प्राथमिक का प्राथम पत्र अदम परकी
अदम दायरी में श्वारीज दिया
जाता है पगावली नमूदा से कम
होकर दफतर दाखिल हो।

नायब अधिकारी
जायल, जिला नागौर